

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)

आदेश

अनुमति वाद संख्या 04/2022-23

केश का प्रकार - सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी										
25/4/25	आवेदक/आवेदिका मसकलन केरकेट्टा पिता- स्व० जंगु केरकेट्टा जाति-मुण्डा ग्राम-सुरहू, पहानटोली थाना-कामडारा जिला-गुमला (झारखण्ड) स्थित थाना संख्या 101 मौजा-सुरहू, खाता संख्या 106 प्लॉट संख्या 4352 कुल रकबा 1.25 ए० में से 0.21 एकड़ भूमि को क्रेता रवि कुजूर, पिता- राजेश कुजूर जाति-उरॉव ग्राम-सुरहू थाना-कामडारा जिला-गुमला के साथ बिक्री/वसीयत/बक्सीत करने के लिए छोटानागरपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>सुरुहू</td><td>101</td><td>106</td><td>4352</td><td>1.25 ए० में से 0.21 ए०</td></tr></table> प्लॉट संख्या 4352 की चौहदी उत्तर में - नीज बिक्रेता दक्षिण में- कच्ची सड़क पूरब में- पक्की सड़क पश्चिम में- हिस्सेदार बेनेदिक केरकेट्टा जमीन बिक्रेता की विवरणी मसकलन केरकेट्टा, पिता-स्व० जंगु केरकेट्टा जाति-मुण्डा ग्राम- सुरहू, पहानटोली थाना- कामडारा जिला-गुमला (झारखण्ड)। जमीन क्रेता की विवरणी रवि कुजूर, पिता- राजेश कुजूर जाति-उरॉव ग्राम-सुरहू थाना-कामडारा जिला-गुमला (झारखण्ड)। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करने के बावजूद भी उक्त वाद में कोई अभिरुची नहीं लेने के कारण बिना किसी गुण-दोष के वाद को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 25.04.25 भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला) 25.04.25 भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया(गुमला)	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	सुरुहू	101	106	4352	1.25 ए० में से 0.21 ए०	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
सुरुहू	101	106	4352	1.25 ए० में से 0.21 ए०								